[2018] 10 एस. सी. आर. 974

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

वी.

वी. रामकृष्णन और ए. एन. आर.

(2018 की सिविल अपील संख्या 3595)

14 अगस्त, 2018

[आर. एफ. नरीमन और इंदु मल्होत्रा, जे. जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016: एस. 14-व्यक्तिगत गारंटर के मामले में लागू होना-चाहे एस. 14 कोड जो

संहिता में उल्लिखित सीमित अवधि के लिए स्थगन का प्रावधान, एक दिवालिया याचिका के प्रवेश पर, एक कॉर्पोरेट देनदार के व्यक्तिगत गारंटर पर लागू होगा-आयोजित: एस. 14 केवल निगमित देनदार के मामले में लागू होता है-उक्त खंड में इसका उल्लेख नहीं है।

व्यक्तिगत गारंटर के बारे में-जहाँ तक व्यक्तिगत गारंटरों का संबंध है, भाग III को लागू नहीं किया गया है, और न ही एस। 243 , जो प्रेसीडेंसी-टाउन दिवाला अधिनियम, 1909 और प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 को निरस्त करता है-इसका शुद्ध परिणाम यह है कि जहां तक व्यक्तिगत गारंटरों का संबंध है, उनके खिलाफ उपरोक्त दो दिवाला अधिनियमों के तहत कार्रवाई जारी रहेगी, न कि संहिता की योजना के तहत। 60 (2) और संहिता का (3) उस समय स्पष्ट होता है जब कोई कार्यवाही होती है।

2016 संहिता के तहत लंबित कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ, व्यक्तिगत व्यक्तिगत गारंटर के खिलाफ कोई भी दिवालियापन कार्यवाही, यदि पहले से ही कॉर्पोरेट के खिलाफ कार्यवाही से पहले शुरू की गई है

ऋणी को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण में स्थानांतरित किया जाए या, यदि निगमित ऋणी के खिलाफ ऐसी कार्यवाही शुरू होने के बाद शुरू की गई हो, तो केवल राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण में दायर किया जाए-हालाँकि, न्यायाधिकरण को ऐसी कार्यवाही पर निर्णय लेना है।

केवल प्रेसीडेंसी-टाउन दिवाला अधिनियम, 1909 या प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920, जैसा भी मामला हो, के अनुसार-प्रेसीडेंसी-टाउन दिवाला अधिनियम, 1909-प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कारण ऋण की वसूली अधिनियम, 1993-बैंक/बैंकिंग।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 संहिता के भाग II के तहत, जो "कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान और परिसमापन" से संबंधित है, एक वित्तीय लेनदार या एक कॉर्पोरेट देनदार एक आवेदन कर सकता है।

इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए। एक बार शुरू होने के बाद, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, इस तरह के आवेदन को स्वीकार करने के बाद, आदेश द्वारा, धारा 14 में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए स्थगन की घोषणा करेगा। [पैरा 16] [989-ई-एफ]

एम/एस। सिकॉम इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंस लिमिटेड बनाम राजेश

कुमार द्रोलिया और अन्र। (2017) एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 9725; संजीव श्रिया बनाम। भारतीय स्टेट बैंक और अन्य। (2018) 2 सभी एल. जे. 769 (06.09.2017 पर तय)-संदर्भित 1.2 धारा 14 चार मामलों को संदर्भित करती है जिन्हें निषिद्ध किया जा सकता है।

एक बार जब अधिस्थगन लागू हो जाता है। निर्दिष्ट प्रत्येक मामले में, चाहे वह संस्था हो या कार्यवाही की निरंतरता, परिसंपत्तियों का हस्तांतरण, बोझ या अलगाव, प्रतिभूति ब्याज की वसूली के लिए कार्रवाई, या एक मालिक द्वारा संपत्ति की वसूली जो कॉर्पोरेट देनदार के कब्जे में है, क्या है

गारंटर। वास्तव में, उक्त धारा में केवल निगमित देनदार और निगमित देनदार का उल्लेख किया गया है। अतः उक्त धारा को सीधे पढ़ने से यह निष्कर्ष निकलता है कि धारा 14 में निर्दिष्ट अधिस्थगन किसी निगमित देनदार के व्यक्तिगत गारंटरों पर लागू नहीं होता है। [पैरा 17] [989-एफ-एच] 2.1 संहिता की धारा 60, इसकी उप-धारा (1) में, दोनों निगमित देनदारों के लिए दिवाला समाधान और परिसमापन को संदर्भित करती है।

और व्यक्तिगत गारंटर, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण जिसके लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण होगा, जिसका उस स्थान पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र होगा जहाँ निगमित व्यक्ति का पंजीकृत कार्यालय स्थित है। यह उप-धारा केवल इस मायने में महत्वपूर्ण है कि यह न्यायाधिकरण का पता लगाती है जिसका निगमित देनदारों के खिलाफ दिवाला समाधान प्रक्रियाओं में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है। जहाँ तक व्यक्तिगत गारंटरों का संबंध है, भाग III नहीं किया गया है।

लागू किया गया, और न ही धारा 243 है, जो प्रेसीडेंसी-टाउन दिवाला अधिनियम, 1909 और प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 को निरस्त करती है। इसका शुद्ध परिणाम यह है कि जहां तक व्यक्तिगत गारंटरों का संबंध है, उनके खिलाफ उपरोक्त दो दिवाला अधिनियमों के तहत कार्रवाई जारी रहेगी, न कि संहिता के तहत। वास्तव में, वित्त मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार ने दिनांक 1 की एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आगाह किया कि संहिता की धारा 243, जो उक्त अधिनियमों को निरस्त करने का प्रावधान करती है, को आज तक अधिसूचित नहीं किया गया है, [2018] 10 एस. सी. आर.

और इसके अलावा, कि संहिता के भाग III में निहित व्यक्तियों और साझेदारी के लिए दिवाला समाधान और दिवालियापन से संबंधित प्रावधानों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। इसलिए, यह सलाह दी गई कि जो हितधारक अपने दिवालिया मामलों को आगे बढ़ाने का इरादा रखते हैं

ऋण वसूली न्यायाधिकरणों से संपर्क करने के बजाय, मौजूदा अधिनियमों के तहत उपयुक्त प्राधिकरण/अदालत से संपर्क कर सकते हैं। यही कारण है कि धारा 60 की उप-धारा (2) किसी निगमित देनदार के व्यक्तिगत गारंटर के "दिवालियापन" से संबंधित आवेदन की बात करती है और कहती है कि ऐसा कोई भी दिवालियापन कार्यवाही केवल राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जाएगी। [पारस 19,20] [990-बी-जी]

2.2 धारा 60 (2) और (3) की योजना स्पष्ट है-जिस क्षण निगमित देनदार के खिलाफ कार्यवाही होती है।

2016 संहिता के तहत लंबित, व्यक्तिगत व्यक्तिगत गारंटर के खिलाफ कोई भी दिवालियापन कार्यवाही, यदि पहले से ही कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ कार्यवाही से पहले शुरू की गई है, तो राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में स्थानांतरित की जाएगी या, यदि कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ ऐसी कार्यवाही शुरू होने के बाद शुरू की गई है, तो केवल राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में दायर की जाएगी। हालाँकि, न्यायाधिकरण को ऐसी कार्यवाही का निर्णय केवल प्रेसीडेंसी-टाउन दिवाला अधिनियम, 1909 या प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920, जैसा भी मामला हो, के अनुसार करना है। यह स्पष्ट है कि उप-धारा (4), जिसमें कहा गया है कि न्यायाधिकरण को उप-धारा (2) के प्रयोजनों के लिए इस संहिता के भाग III के तहत विचार किए गए ऋण वसूली न्यायाधिकरण की सभी शक्तियां निहित होंगी, प्रभावी नहीं होंगी, क्योंकि ऋण वसूली न्यायाधिकरण को अभी तक संहिता की धारा 17 के तहत व्यक्तियों के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही सुनने का अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि उक्त धारा अभी तक नहीं है।

लागू किया गया। इसके अलावा, धारा 249, जो ऋण वसूली अधिनियम के परिणामी संशोधन से संबंधित है ऋण वसूली न्यायाधिकरणों को ऐसी कार्यवाहियों का परीक्षण करने का अधिकार दिया गया है

भी लागू नहीं किया गया। [पैरा 21] [991-बी-ई]

3. धारा 96 और 101, जब धारा 14 के विपरीत होती है, तो यह पता चलता है कि धारा 14 संभवतः किसी व्यक्तिगत मामले पर लागू नहीं हो सकती है। गारंटर। जब भाग III के तहत कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो किसी भी देय ऋण के संबंध में अंतरिम अधिस्थगन या अधिस्थगन लागू होता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह एक अलग अधिस्थगन है, जो व्यक्तिगत गारंटरों के मामले में अलग से लागू होता है, जिनके खिलाफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम।

वी. रामकृष्णन और ए. एन. आर.

दिवाला समाधान प्रक्रियाएँ भाग III के तहत शुरू की जा सकती हैं। दूसरा, इन धाराओं के तहत अधिस्थगन का संरक्षण उस लंबित कानूनी मामले में धारा 14 की तुलना में कहीं अधिक है।

ऋण के संबंध में कार्यवाही पर रोक लगा दी जाती है न कि देनदार पर। धारा 14 और 101 के बीच भाषा में अंतर एक कारण से है। धारा 14 केवल निगमित देनदारियों द्वारा देय ऋणों को संदर्भित करती है, जो सीमित देयता कंपनियां हैं, और यह स्पष्ट है कि अधिकांश मामलों में, व्यक्तिगत गारंटी निदेशकों द्वारा दी जाती है।

जो कंपनियों के प्रबंधन में हैं। संहिता का उद्देश्य ऐसे गारंटरों को पूरे बकाया ऋण का भुगतान करने के लिए एक स्वतंत्र और सह-व्यापक दायित्व से बचने की अनुमति देना नहीं है, यही कारण है कि धारा 14 उन पर लागू नहीं होती है। हालांकि, जहां तक फर्मों और व्यक्तियों का संबंध है, व्यक्तिगत ऋणों के संबंध में उन व्यक्तियों द्वारा गारंटी दी जाती है जिनके पास उन्हें चुकाने के लिए असीमित देयता होती है। और ऐसे गारंटर देनदार के लिए पूरी तरह से अजनबी हो सकते हैं-अक्सर यह एक व्यक्तिगत दोस्त हो सकता है। यही कारण है कि धारा 101 में उल्लिखित अधिस्थगन ऐसे व्यक्तियों को कवर करेगा, क्योंकि इस तरह की अधिस्थगन ऋण के संबंध में है और नहीं।

कर्जदार। यह धारा 14 और 96 और 101 के बीच भाषा में अंतर को चिह्नित करने के लिए खुला है, भले ही धारा 96 और 101 को अभी तक लागू नहीं किया गया है। [पैरा 23] [992-सी-जी]

केरल राज्य और अन्य। वी. मार अप्प्रेम कुरी कं. लिमिटेड

और एन. आर. (2012) 7 एससीसी 106: [2012] 4 एससीआर 448; मद्रास

पेट्रोकेम लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. औद्योगिक और औद्योगिक बोर्ड वित्तीय पुनर्निर्माण और अन्य। (2016) 4 एससीसी

1 : [2016] 11 एससीआर 419; सीआईटी बनाम। शेली उत्पाद (2003) 5

एस. सी. सी. 461 [2003] 1 पूरक। एससीआर 79; सीआईटी बनाम। वाटिका

टाउनशिप (2015) 1 एससीसी 1: [2014] 12 एससीआर 1037 -

पर भरोसा किया।

मामला कानून संदर्भ

[2012] 4 एससीआर 448

उस पर भरोसा करें

पै

रा 23

[2016] 11 एससीआर 419

उस पर भरोसा करें

पै

रा 25

[2003] 1 पूरक। एससीआर 79

उस पर भरोसा करें

पै

रा 29

[2014] 12 एससीआर 1037

उस पर भरोसा करें

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 3595

2018 का कंपनी अपील में नई दिल्ली में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के दिनांक 28.02.2018 के निर्णय और आदेश से

(ए. टी.) (दिवाला) 2017 की सं. 212

के साथ

2018 का सी. ए. सं. 4553

के. वी. विश्वनाथन, (ए. सी.), सी. यू. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अभिषेक कौशिक, सुश्री वृंदा भंडारी, धनंजय बी. रे, रवि आर. रघुनाथ,

संजय कपूर, सुश्री मेघा कर्णवाल, सुश्री शीना ताकी, सुश्री शुभ्रा कपूर, पी. एस. सुधीर, सुश्री ऐनी मैथ्यू, भारत सूद, सुश्री श्रुति जोस, आयुष आनंद, शुभेंदु आनंद, अरविंद कुमार गुप्ता, सुश्री हिना जॉर्ज, जी. बालाजी, दिलप्रीत सिंह, राजेश बोहरा, धवल एस. देशपांडे, आमिर अरसीवाला, अरविंद गुप्ता, राहुल चिटनीश, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे. 1. वर्तमान अपीलें चारों ओर घूमती हैं।

क्या दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 14, जो एक दिवाला याचिका के प्रवेश पर संहिता में उल्लिखित सीमित अवधि के लिए स्थगन का प्रावधान करती है, एक कॉर्पोरेट देनदार के व्यक्तिगत गारंटर पर लागू होगी।

2. वर्तमान अपीलों की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 निगमित देनदार का प्रबंध निदेशक है।

26.07.2015 पर परिसंपत्ति। इसके परिणामस्वरूप, अपीलार्थी ने 60 दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर प्रत्यर्थियों से Rs.61,13,28,785.48 की बकाया राशि की मांग करते हुए सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत दिनांक 04.08.2015 पर एक नोटिस जारी किया। चूंकि कोई भुगतान आने वाला नहीं था, इसलिए सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत कब्ज़े का नोटिस 18.11.2016 पर जारी किया गया था। 4. जैसा कि मामला इस प्रकार खड़ा था, प्रत्यर्थी संख्या 2, कॉर्पोरेट देनदार द्वारा अपने खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए 20.05.2017 पर संहिता की धारा 10 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम। वी. रामकृष्णन और ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

19.06.2017 , धारा 10 के तहत दायर इस याचिका को स्वीकार कर लिया गया था, जिसके बाद संहिता की धारा 14 द्वारा वैधानिक रूप से स्थगन लगाया गया है। जबकि उक्त कार्यवाही लंबित थी, प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा कॉर्पोरेट देनदार को व्यक्तिगत गारंटर के रूप में एक अंतरिम आवेदन दायर किया गया था, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 ने याचिका दायर की कि संहिता की धारा 14 व्यक्तिगत गारंटर पर भी लागू होगी, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्तिगत गारंटर और उसकी संपत्ति के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगानी होगी। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने अपने दिनांक 18.09.2017 के आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि चूंकि संहिता की धारा 31 के तहत, इसके तहत बनाई गई समाधान योजना व्यक्तिगत गारंटर को भी बाध्य करेगी, और

चूंकि, लेनदार के खिलाफ कार्रवाई के बाद, गारंटर लेनदार के स्थान पर खड़ा होता है, इसलिए धारा 14 व्यक्तिगत गारंटर के पक्ष में भी लागू होगी। इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर अंतरिम आवेदन की अनुमति दी गई और अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 1 के खिलाफ जाने से रोक दिया गया।

5. राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय में दायर एक अपील

न्यायाधिकरण के परिणामस्वरूप अपील खारिज कर दी गई। दिनांक 28.02.2018 के विवादित निर्णय द्वारा, अपीलीय न्यायाधिकरण ने संहिता की धारा 60 (2) और (3) के साथ-साथ संहिता की धारा 31 पर यह पता लगाने के लिए भरोसा किया कि धारा 14 के तहत लगाई गई रोक व्यक्तिगत गारंटर पर भी लागू होगी। तर्क यह था कि चूंकि व्यक्तिगत गारंटर के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है, और यह एक समाधान योजना का हिस्सा है जो है

उसे बाध्य करते हुए, वह कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया का बहुत हिस्सा है, और इसलिए, धारा 14 के तहत लगाई गई रोक व्यक्तिगत गारंटर पर भी लागू होनी चाहिए।

6. 2018 की सी. ए. संख्या 3595 में अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री संजय कपूर और 2018 की सी. ए. संख्या 4553 में अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सी. यू. सिंह ने कहा,

दोनों ने तर्क दिया कि निगमित देनदार और व्यक्तिगत गारंटर अलग-अलग संस्थाएं हैं और एक निगमित देनदार दिवालिया कार्यवाही से गुजर रहा है। संहिता के तहत इसका मतलब यह नहीं होगा कि एक व्यक्तिगत गारंटर भी है एक ही प्रक्रिया से गुजरना। चूंकि गारंटर की देनदारी कॉर्पोरेट देनदार की देनदारी से अलग और अलग होती है, इसलिए जमानतदार के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है, हालांकि प्रमुख देनदार पर मुकदमा नहीं किया गया है। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 128 पर भरोसा किया,

1872. उन्होंने मैसर्स में बॉम्बे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले में निहित तर्क पर भी बहुत अधिक भरोसा किया। सिकॉम

निवेश और वित्त लिमिटेड v. राजेश कुमार द्रोलिया और Anr.[1] 1 1 (2017) एस. सी. सी. ऑनलाइन बॉम 9725 (28.11.2017 पर तय)।

इसके बाद उन्होंने संहिता के भाग III और विशेष रूप से धारा 96 और 101 का उल्लेख किया। यद्यपि संहिता के भाग III को लागू नहीं किया गया है, लेकिन यह स्पष्ट है कि यदि किसी व्यक्तिगत गारंटर के खिलाफ दिवालिया समाधान प्रक्रिया को अंजाम दिया जाना है, तो यह केवल भाग III के तहत किया जा सकता है, जिसमें एक अलग अधिस्थगन प्रावधान है, अर्थात् धारा 96 और 101, जो दोनों केवल एक अलग दिवालिया प्रक्रिया के बाद संलग्न होंगे।

व्यक्तिगत गारंटर के खिलाफ किया गया था। श्री सिंह, विशेष रूप से, धारा 14 और धारा 14 के बीच भाषा के अंतर पर बहुत अधिक भरोसा करते थे। धारा 101। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, धारा 14, अपने सभी उप-अनुभागों में, केवल निगमित देनदार के बारे में बात करती है। जब धारा 101 के विपरीत किया जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि धारा 14 संभवतः किसी व्यक्तिगत गारंटर के साथ भी संलग्न नहीं हो सकती है, क्योंकि धारा 101 किसी व्यक्तिगत गारंटर की बात नहीं करती है।

' ऋणी 'लेकिन बोलता है' ऋण के संबंध में और न केवल धारा 14 से व्यापक है, बल्कि केवल तभी संलग्न करेगा जब व्यक्तिगत गारंटर के खिलाफ भाग III की कार्यवाही शुरू की जानी थी। उन्होंने आई. डी. 1 दिनांकित संशोधन अध्यादेश पर भी बहुत अधिक भरोसा किया, जिसके द्वारा संहिता की धारा 14 (3) को प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें एक कॉर्पोरेट देनदार को गारंटी के अनुबंध में एक जमानत भी शामिल थी। उन्होंने दिवाला विधि समिति की कार्यवाही पर भरोसा किया, जिसके कारण उपरोक्त संशोधन हुआ, जिसमें कहा गया कि एक स्पष्टीकरण के माध्यम से यह स्पष्ट करने की सिफारिश की गई थी कि निगमित देनदार को ऐसे गारंटरों की सभी परिसंपत्तियां संहिता के तहत लगाए गए अधिस्थगन के दायरे से बाहर होंगी। वर्तमान कार्यवाही में बहुत ही विवादित निर्णय दिवाला कानून द्वारा संदर्भित किया गया था

समिति ने कहा कि धारा 14 की इस तरह की व्यापक व्याख्या लेनदार के महत्वपूर्ण अधिकारों में कटौती करेगी। उन्होंने उन निर्णयों पर भरोसा किया जो यह स्पष्ट करते थे कि इस संशोधन की तरह स्पष्टीकरणकारी कानूनों का पूर्वव्यापी संचालन होगा और इसलिए, किसी भी मामले में, विवादित निर्णय को दरकिनार करना होगा।

7. प्रत्यर्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने पहले संहिता की धारा 60 (2) के तहत शरण ली, क्योंकि विद्वान वकील के अनुसार, उक्त धारा बैंक के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकती है।

एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. या संहिता के बाहर किसी अन्य अधिनियम के तहत व्यक्तिगत गारंटर। उन्होंने न्यायाधिकरण के तर्क पर भरोसा किया और शरण ली

धारा 31 के तहत, जैसा कि न्यायाधिकरण ने किया था। उन्होंने एक निर्णय पर भी भरोसा किया संजीव श्रिया बनाम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय। भारतीय स्टेट बैंक और अन्य। , 2 जिसमें कहा गया है कि निगम से संबंधित कार्यवाही के रूप में

ऋणी दो मंचों पर निर्णय के लिए लंबित है, इसकी अनुमति नहीं है

2 (2018) 2 सभी एलजे 769 (06.09.2017 पर तय)।

व्यक्तिगत गारंटर के खिलाफ कार्रवाई करें। एक वित्तीय लेनदार इस तरह से काम नहीं कर सकता है जो व्यक्तिगत देनदार की संपत्ति के मूल्य को खतरे में डालता है। उन्होंने दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 पर भी दृढ़ता से भरोसा किया, जो 23.11.2017 पर लागू हुआ, जिसके द्वारा धारा 2 के खंड (e) को प्रतिस्थापित किया गया था ताकि संहिता के व्यापक दायरे में निगमित देनदारों के व्यक्तिगत गारंटरों को शामिल किया जा सके। इसके बाद उन्होंने संशोधन अधिनियम, 2018 के उद्देश्यों के विवरण पर भरोसा किया, जो

अन्य बातों के साथ-साथ निगमित ऋणदाताओं के व्यक्तिगत गारंटरों तक संहिता के प्रावधानों का विस्तार करना था, ताकि निगमित दिवालियापन को और मजबूत किया जा सके। समाधान प्रक्रिया। इसके बाद उन्होंने कुछ वैधानिक प्रपत्रों पर भरोसा किया जो दिवाला और दिवालियापन में निहित हैं।

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण) नियम, 2016 और विशेष रूप से फॉर्म 6 के अनुलग्नक 6 (ई) के लिए। भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमों का विनियम 36 (2),

ऋणी जब निगमित ऋणी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू की जाती है। यह सब दिखाएगा कि चूंकि व्यक्तिगत गारंटर बहुत अधिक हिस्सा है समग्र प्रक्रिया में, संहिता की धारा 14 में निहित अधिस्थगन व्यक्तिगत गारंटर पर भी लागू होना चाहिए।

8. हमने श्री के. वी. विश्वनाथन, विद्वान वरिष्ठ को नियुक्त किया

अधिवक्ता, इस मामले में न्यायमित्र के रूप में हमारी सहायता करने के लिए। हम उनकी बहुमूल्य सहायता के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। उन्होंने बताया कि दिवाला संहिता का पूरा विचार यह था कि ऋण का इतिहास वसूली से पता चला था कि पहले के क़ानून कॉर्पोरेट देनदारों के पक्ष में भारी थे और इसके परिणामस्वरूप, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भारी बकाया ऋणों का भुगतान नहीं किया गया था। विशेष रूप से उन्होंने

बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 22 की ओर इशारा किया और कहा कि गारंटरों पर भी लागू होने वाली उक्त धारा के परिणामस्वरूप, लेनदार गारंटरों के खिलाफ आगे नहीं बढ़ सकते हैं और साथ ही कंपनी के बीमार घोषित होने के बाद भी।

उक्त अधिनियम, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की अनुमति के बिना। अब जब उक्त अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है, और यह तथ्य कि कंपनी अधिनियम, 2013 सहित कई बाद के अधिनियमों ने धारा 22 के समान एक प्रावधान को हटा दिया था, यह दर्शाता है कि संहिता की धारा 14 का अधिनियमन जानबूझकर किया गया था, और यह विचार था कि गारंटर के खिलाफ कार्यवाही पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, जबकि कॉर्पोरेट देनदार दिवालिया कार्यवाही से गुजर रहा है। इसके लिए उन्होंने विभिन्न निर्णयों का हवाला दिया। उन्होंने संशोधन अधिनियम, 2018 पर भी भरोसा किया और कहा।

कि चूँकि अधिनियम को विशेष रूप से अपीलीय निर्णय को समाप्त करना था, और चूँकि यह स्पष्टीकरणात्मक था, इसलिए कानून में स्थिति यह होगी कि यह पूर्वव्यापी होगा, और इस प्रकार वर्तमान मामले को नियंत्रित करेगा।

9. दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों की दलीलों पर विचार करने से पहले, इस स्तर पर संहिता के कुछ प्रावधानों को निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। इस मामले की सुनवाई करते समय हमें एक कठिनाई का सामना करना पड़ा कि संहिता के विभिन्न प्रावधानों को अलग-अलग तिथियों पर लागू किया गया था, जैसा कि धारा 1 (3) इंगित करती है। इसके अलावा, संहिता के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान अभी तक लागू नहीं किए गए हैं। इसका विज्ञापन हम अपने निर्णय में थोड़ी देर बाद करेंगे।

10. संहिता की धारा 2 (ई), जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, निम्नानुसार है:

> " 2. आवेदन। — इस संहिता के प्रावधान इन पर लागू होंगे -
>
> XXX XXX XXX
>
> (ई) साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों;
>
> XXX XXX "

संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा, इस धारा को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया था:

> " 2. आवेदन। इस संहिता के प्रावधान लागू होंगे -
>
> XXX XXX XXX
>
> (ई) कॉर्पोरेट देनदारियों के लिए व्यक्तिगत गारंटर;
>
> XXX XXX "

हालांकि मूल धारा 2 (ई) बिल्कुल भी लागू नहीं हुई थी, लेकिन प्रतिस्थापित धारा 2 (ई) डब्ल्यू. ई. एफ. 23.11.2017 लागू हो गई है।

11. संहिता की धारा 3 (7), (8) और (11) निम्नानुसार है:

> " 3. परिभाषाएँ। इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो
>
> आवश्यकता है,

(7) " निगमित व्यक्ति "से खंड में परिभाषित कंपनी अभिप्रेत है (20) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के तहत सीमित देयता भागीदारी, जिसे सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (एन) में परिभाषित किया गया है, या उस समय लागू किसी भी कानून के तहत सीमित देयता के साथ निगमित कोई अन्य व्यक्ति, लेकिन इसमें शामिल नहीं होगा।

कोई भी वित्तीय सेवा प्रदाता; एटीई बैंक ऑफ इंडिया v.

वी. रामकृष्णन और ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(8) " निगमित देनदार "से एक निगमित व्यक्ति अभिप्रेत है जो

किसी भी व्यक्ति को ऋण; "

XXX XXX XXX

" (11) " "ऋण" से किसी दावे के संबंध में एक दायित्व या दायित्व अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति से देय है और इसमें एक वित्तीय ऋण शामिल है और

परिचालन ऋण; "

12. संहिता की धारा 5 (8) (i) इस प्रकार है:

" 5. परिभाषाएँ। इस भाग में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

आवश्यकता है,

और इसमें शामिल हैं XXX XXX XXX

(i) उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी भी मद के लिए किसी भी गारंटी या क्षतिपूर्ति के संबंध में किसी भी दायित्व की राशि।

इस खंड के (ज) तक;

XXX XXX "

13. संहिता की धारा 5 (22) इस प्रकार है:

" 5. परिभाषाएँ। इस भाग में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

आवश्यकता है,

—

XXX XXX XXX (22) " व्यक्तिगत गारंटर "का अर्थ है एक व्यक्ति जो मुचलका है

एक कॉर्पोरेट देनदार को गारंटी के अनुबंध में; "

14. संहिता की धारा 14,31,60,95,101,238,243 और 249

एस के तहत:

" 14. अधिस्थगन। - (1) उप-धारा (2) और (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, दिवाला शुरू होने की तारीख को, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण आदेश द्वारा इसके लिए स्थगन की घोषणा करेगा। निम्नलिखित सभी को प्रतिबंधित करना, अर्थात् -

(क) निगमित देनदार के खिलाफ मुकदमों की स्थापना या लंबित मुकदमों या कार्यवाहियों को जारी रखना जिसमें निष्पादन [2018] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण में किसी निर्णय, डिक्री या आदेश का,

(बी) निगमित देनदार द्वारा अपनी किसी भी संपत्ति या उसमें किसी भी कानूनी अधिकार या लाभकारी ब्याज का हस्तांतरण, बोझ, अलगाव या निपटान; (ग) निगमित देनदार द्वारा अपनी संपत्ति के संबंध में बनाए गए किसी भी प्रतिभूति हित को पूर्ववत करने, पुनर्प्राप्त करने या लागू करने के लिए कोई कार्रवाई।

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम के तहत किसी भी कार्रवाई सहित,

2002 (54 2002);

(घ) मालिक या पट्टेदार द्वारा किसी संपत्ति की वसूली जहाँ

ऐसी संपत्ति पर कब्जा है या उसके कब्जे में है

निगमित देनदार।

(2) निगमित देनदार को आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है, अधिस्थगन अवधि के दौरान समाप्त या निलंबित या बाधित नहीं की जाएगी।

(4) स्थगन का आदेश इस तरह के आदेश की तारीख से कॉर्पोरेट दिवालियापन के पूरा होने तक प्रभावी रहेगा। समाधान प्रक्रिया:

बशर्ते कि जहां निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि के दौरान किसी भी समय, यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण धारा 31 की उप-धारा (1) के तहत समाधान योजना को मंजूरी देता है या धारा 33 के तहत निगमित देनदार के परिसमापन के लिए कोई आदेश पारित करता है, तो ऐसी मंजूरी या परिसमापन आदेश की तारीख से स्थगन प्रभाव समाप्त हो जाएगा, जैसा भी मामला हो।

प्राधिकरण संतुष्ट है कि द्वारा अनुमोदित समाधान योजना धारा 30 की उप-धारा (4) के तहत लेनदारों की समिति धारा 30 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती है, यह आदेश द्वारा समाधान योजना को मंजूरी देगी जो ए. टी. ई. बैंक ऑफ इंडिया v.

वी. रामकृष्णन और ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

निगमित देनदार और उसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों, गारंटरों और समाधान योजना में शामिल अन्य हितधारकों पर।

(2) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का समाधान होता है कि

समाधान योजना उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पुष्टि नहीं करती है, यह एक आदेश द्वारा संकल्प को अस्वीकार कर सकती है। योजना बनाएँ।

(3) उप-धारा (1) के तहत अनुमोदन के आदेश के बाद, -

धारा 14 के तहत प्राधिकरण का प्रभाव समाप्त हो जाएगा; और
(ख) समाधान पेशेवर निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के संचालन से संबंधित सभी रिकॉर्ड और समाधान योजना को रिकॉर्ड करने के लिए बोर्ड को भेजेगा।

अपने डेटाबेस पर "।

XXX XXX XXX

" 60. निगमित व्यक्तियों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण। — (1)

निगमित ऋणदाताओं और व्यक्तिगत गारंटरों सहित निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान और परिसमापन के संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण होगा, जिसका उस स्थान पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र होगा जहां निगमित व्यक्ति का पंजीकृत कार्यालय स्थित है। (2) उप-धारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस संहिता में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, जहां एक निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया या परिसमापन कार्यवाही

निगमित देनदार राष्ट्रीय कंपनी कानून के समक्ष लंबित है।

न्यायाधिकरण, ऐसे निगमित देनदार के व्यक्तिगत गारंटर के दिवाला समाधान या दिवालियापन से संबंधित एक आवेदन ऐसे राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किया जाएगा।

(3) किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण में लंबित निगमित देनदार के व्यक्तिगत गारंटर की दिवाला समाधान प्रक्रिया या दिवालियापन कार्यवाही ऐसे निगमित देनदार की दिवाला समाधान प्रक्रिया या परिसमापन कार्यवाही से निपटने वाले न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दी जाएगी। (4) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के पास उप-धारा (2) के प्रयोजन के लिए इस संहिता के भाग III के तहत विचार किए गए ऋण वसूली न्यायाधिकरण की सभी शक्तियां निहित होंगी।

(5) तत्काल प्रभाव से लागू किसी अन्य कानून में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के पास इस पर विचार करने या उसका निपटारा करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

(क) निगम द्वारा या उसके विरुद्ध कोई आवेदन या कार्यवाही

ऋणी या निगमित व्यक्ति;

भारत में स्थित सहायक कंपनियां; और (ग) इस संहिता के तहत निगमित देनदार या निगमित व्यक्ति के दिवाला समाधान या परिसमापन कार्यवाही से या उसके संबंध में उत्पन्न प्राथमिकताओं या कानून या तथ्यों का कोई प्रश्न।

(6) सीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) या उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, किसी भी वाद के लिए निर्दिष्ट सीमा की अवधि की गणना करने में या निगमित देनदार द्वारा या उसके विरुद्ध आवेदन जिसके लिए इस भाग के तहत अधिस्थगन का आदेश दिया गया है, अवधि

जिसे इस तरह की रोक से बाहर रखा जाएगा। XXX XXX XXX

" 96. अंतरिम-स्थगन।— (1) जब धारा 94 या धारा 95 के तहत आवेदन दायर किया जाता है।

(क) एक अंतरिम-स्थगन सभी ऋणों के संबंध में आवेदन की तारीख से शुरू होगा और इस तरह के आवेदन को स्वीकार करने की तारीख से इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा; और (ख) अंतरिम-अधिस्थगन अवधि के दौरान

((i) किसी भी मामले में लंबित कोई कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही।

ऋण पर रोक लगा दी गई मानी जाएगी; और

((ii) देनदार के लेनदार कोई कानूनी पहल नहीं करेंगे।

किसी भी ऋण के संबंध में कार्रवाई या कार्यवाही।

(2) जहां किसी फर्म के संबंध में आवेदन किया गया है, वहां उप-धारा (1) के तहत अंतरिम रोक आवेदन की तारीख तक फर्म के सभी भागीदारों के खिलाफ काम करेगी।

(3) उप-धारा (1) के प्रावधान ऐसे लेनदेन पर लागू नहीं होंगे जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा किसी भी वित्तीय क्षेत्र के नियामक के परामर्श से अधिसूचित किया जा सकता है। ए. टी. ई. बैंक ऑफ इंडिया बनाम

वी. रामकृष्णन और ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

प्राधिकरण धारा 114 के तहत पुनर्भुगतान योजना पर आदेश पारित करता है, जो भी पहले हो। (2) अधिस्थगन अवधि के दौरान

(क) किसी के संबंध में कोई लंबित कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही

यह माना जाएगा कि ऋण पर रोक लगा दी गई है;

(ख) लेनदार कोई कानूनी कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं करेंगे।

किसी भी ऋण के संबंध में कार्यवाही; और

(ग) ऋणी अपनी किसी भी संपत्ति या अपने कानूनी अधिकारों या लाभकारी ब्याज का हस्तांतरण, अलगाव, बोझ या निपटान नहीं करेगा।

उसमें;

XXX XXX XXX " 238. अन्य कानूनों को ओवरराइड करने के लिए इस संहिता के प्रावधान।

इस संहिता के प्रावधानों का प्रभाव होगा, इसके बावजूद कि उस समय लागू किसी अन्य कानून या किसी ऐसे कानून के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी दस्तावेज में कुछ भी असंगत है।

XXX XXX " 243. कुछ अधिनियमों और बचतों को निरस्त करना।—(1) द.

प्रेसीडेंसी-टाउन दिवाला अधिनियम, 1909 (1909 का 3) और प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 (1920 का 5) इसके द्वारा निरस्त किए जाते हैं। (2) उप-धारा (1) के तहत निरसन के बावजूद, -

(i) प्रेसीडेंसी टाउन दिवाला अधिनियम, 1909 और प्रांतीय दिवाला [2018] 10 एस. सी. आर. के तहत और उससे संबंधित सभी कार्यवाही।

((ख) कोई आदेश, नियम, अधिसूचना, विनियम, नियुक्ति, हस्तांतरण, बंधक, विलेख, दस्तावेज या किया गया समझौता, निर्देशित शुल्क, पारित संकल्प, दिया गया निर्देश, की गई कार्यवाही, निष्पादित या जारी किया गया दस्तावेज, या किसी भी निरस्त अधिनियम के तहत या उसके अनुसरण में किया गया कार्य, यदि लागू हो, इस संहिता का प्रारंभ, जारी रहेगा और इसका प्रभाव इस तरह होगा जैसे कि उपरोक्त अधिनियमों को लागू नहीं किया गया है।

निरस्त किया गया;

((ग) कुछ भी किया गया है या कोई कार्रवाई की गई है या की गई है या की गई है या की गई है, जिसमें कोई नियम, अधिसूचना, निरीक्षण, आदेश या नोटिस दिया गया है या जारी किया गया है या कोई नियुक्ति या घोषणा की गई है या कोई कार्रवाई की गई है या कोई निर्देश दिया गया है या कोई कार्यवाही की गई है या कोई जुर्माना, सजा, ज़ब्त या कोई जुर्माना शामिल है।

(v) निरस्त अधिनियमों के तहत स्थापित और इस अधिनियम के शुरू होने से तुरंत पहले लंबित कोई भी अभियोजन। इस संहिता के प्रावधानों के अधीन रहते हुए किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष संहिता की सुनवाई और निपटान जारी रहेगा।

संबंधित न्यायालय या न्यायाधिकरण;

(vi) के अधीन या उसके आधार पर किसी पद पर नियुक्त कोई भी व्यक्ति

कोई भी निरस्त अधिनियम इस पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि ऐसा समय जो निर्धारित किया जाए; और

(vii) किसी भी अधिकार क्षेत्र, प्रथा, दायित्व, अधिकार, शीर्षक, विशेषाधिकार, प्रतिबंध, छूट, उपयोग, व्यवहार, प्रक्रिया या अन्य मामले या चीज जो अस्तित्व में या लागू नहीं है, को संशोधित या बहाल नहीं किया जाएगा।

(3) उप-धारा (2) में विशेष मामलों का उल्लेख धारा 6 के सामान्य अनुप्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए नहीं माना जाएगा। प्रभाव के संबंध में सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10)

निरस्त किए गए अधिनियमों या प्रावधानों को निरस्त करना अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम "।

XXX XXX XXX

" 249. अधिनियम, 1993 का 51 का संशोधन। - बैंकों और वित्तीय संस्थानों के देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 को पांचवीं अनुसूची में निर्दिष्ट तरीके से संशोधित किया जाएगा।

15. पहली महत्वपूर्ण बात जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह है कि, जैसा कि इस निर्णय में पहले कहा गया है, संहिता का भाग III अभी तक लागू नहीं किया गया है। इस भाग का शीर्षक "व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के लिए दिवाला समाधान और दिवालियापन" है। निरस्तीकरण प्रावधान, अर्थात् धारा 243, जो प्रेसीडेंसी टाउन दिवाला अधिनियम, 1909 और प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 को निरस्त करती है, को भी लागू नहीं किया गया है। धारा 249, जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों के देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 में संशोधन करती है, ताकि उस अधिनियम के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण संहिता द्वारा प्रदत्त न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकें, को भी लागू नहीं किया गया है।

16. संहिता के भाग II के तहत, जो "कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान और परिसमापन" से संबंधित है, एक वित्तीय लेनदार या एक कॉर्पोरेट देनदार इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए आवेदन कर सकता है। एक बार शुरू होने के बाद, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, इस तरह के प्रवेश के बाद

आवेदन, आदेश द्वारा, धारा 14 में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए स्थगन की घोषणा करेगा (संहिता की धारा 13 देखें)।

17. धारा 14 चार मामलों को संदर्भित करती है जिन्हें एक बार प्रतिबंधित किया जा सकता है।

स्थगन प्रभाव में आता है। निर्दिष्ट प्रत्येक मामले में, चाहे वह कार्यवाहियों की स्थापना हो या कार्यवाही की निरंतरता, स्थानांतरण, बोझ

या परिसंपत्तियों का अलगाव, प्रतिभूति ब्याज की वसूली के लिए कार्रवाई, या एक मालिक द्वारा संपत्ति की वसूली जो कॉर्पोरेट देनदार के कब्जे में है, इसकी अनुपस्थिति से जो स्पष्ट है वह व्यक्तिगत गारंटर का कोई उल्लेख है। वास्तव में, उक्त धारा में केवल निगमित देनदार और निगमित देनदार का उल्लेख किया गया है। अतः उक्त धारा के सरल अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि धारा 14 में निर्दिष्ट अधिस्थगन किसी निगमित देनदार के व्यक्तिगत गारंटरों पर लागू नहीं हो सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

18. हालाँकि, धारा 2 (ई) और धारा 60 उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा दृढ़ता से भरोसा किया जाता है, क्योंकि उनके अनुसार, संहिता कॉर्पोरेट देनदारों के व्यक्तिगत गारंटरों पर लागू होगी, और धारा 60 द्वारा, ऐसे व्यक्तिगत गारंटरों के खिलाफ कार्यवाही से पता चलेगा कि इस तरह की मोहलत गारंटर पर भी लागू होती है।

19. हमें डर है कि जिन धाराओं पर भरोसा किया गया है, उन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ने पर इस तरह के तर्कों को खारिज कर दिया जाना चाहिए। संहिता की धारा 60, उसकी उप-धारा (1) में, निगमित ऋणदाताओं और व्यक्तिगत गारंटरों दोनों के लिए दिवाला समाधान और परिसमापन को संदर्भित करती है, जिसके लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण होगा, जिसकी उस स्थान पर क्षेत्रीय अधिकारिता होगी जहां निगमित व्यक्ति का पंजीकृत कार्यालय स्थित है। यह उप-धारा केवल इस मायने में महत्वपूर्ण है कि यह न्यायाधिकरण का पता लगाती है जिसका दिवाला में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है।

गारंटर चिंतित हैं, हमने देखा है कि भाग III को लागू नहीं किया गया है, और न ही धारा 243 है, जो प्रेसीडेंसी टाउन दिवाला अधिनियम, 1909 और प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 को निरस्त करती है। इसका शुद्ध परिणाम यह है कि जहाँ तक व्यक्तिगत गारंटरों की बात है, संबंधित रूप से, उनके खिलाफ उपरोक्त दो दिवाला अधिनियमों के तहत कार्रवाई जारी रहेगी, न कि संहिता के तहत। वास्तव में, एक प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 28.08.2017 द्वारा, भारत सरकार, मंत्रालय के माध्यम से

वित्त, ने आगाह किया कि संहिता की धारा 243, जो उक्त अधिनियमों को निरस्त करने का प्रावधान करती है, को आज तक अधिसूचित नहीं किया गया है, और आगे, कि दिवाला समाधान और दिवालियापन से संबंधित प्रावधानों के लिए

संहिता के भाग III में निहित व्यक्तियों और साझेदारी को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। इसलिए, यह सलाह दी गई कि जो हितधारक अपने दिवालिया मामलों को आगे बढ़ाने का इरादा रखते हैं, वे ऋण वसूली न्यायाधिकरणों से संपर्क करने के बजाय मौजूदा अधिनियमों के तहत उपयुक्त प्राधिकरण/अदालत से संपर्क कर सकते हैं।

20. यही कारण है कि धारा 60 की उप-धारा (2) किसी व्यक्तिगत गारंटर के "दिवालियापन" से संबंधित आवेदन की बात करती है।

एक निगमित देनदार और कहता है कि ऐसी कोई भी दिवालियापन कार्यवाही केवल राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जाएगी। प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान वकील का तर्क कि "दिवालियापन" में सरफेसी की कार्यवाही शामिल होगी, को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए क्योंकि "दिवालियापन" में केवल ऊपर उल्लिखित दो दिवाला अधिनियमों का संदर्भ है। इस प्रकार, गारंटर के

खिलाफ सरफेसी कार्यवाही सरफेसी अधिनियम के तहत जारी रह सकती है। इसी तरह, उप-धारा (3) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम बोलती है।

वी. रामकृष्णन और ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण में लंबित निगमित देनदार के व्यक्तिगत गारंटर की दिवालियापन कार्यवाही, जो हस्तांतरित हो जाएगी ऐसे निगमित देनदार की दिवाला समाधान प्रक्रिया या परिसमापन कार्यवाहियों से निपटने वाला न्यायनिर्णायक प्राधिकरण। एक "न्यायनिर्णायक"

21. इस प्रकार धारा 60 (2) और (3) की योजना स्पष्ट है-जिस क्षण निगमित देनदार के खिलाफ कार्यवाही लंबित है। 2016 संहिता, व्यक्तिगत व्यक्तिगत गारंटर के खिलाफ कोई भी दिवालियापन कार्यवाही, यदि पहले से ही कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ कार्यवाही से पहले शुरू की गई है, तो राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में स्थानांतरित की जाएगी या, यदि कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ ऐसी कार्यवाही शुरू होने के बाद शुरू की गई है, तो केवल राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में दायर की जाएगी।

हालाँकि, न्यायाधिकरण को ऐसी कार्यवाही का निर्णय केवल प्रेसीडेंसी-टाउन दिवाला अधिनियम, 1909 या प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920, जैसा भी मामला हो, के अनुसार करना है। यह स्पष्ट है कि उप-धारा (4), जिसमें कहा गया है कि उप-धारा (2) के प्रयोजनों के लिए इस संहिता के भाग 3 के तहत विचार किए गए ऋण वसूली न्यायाधिकरण की सभी शक्तियां न्यायाधिकरण के पास निहित होंगी, प्रभावी नहीं होंगी, क्योंकि ऋण वसूली न्यायाधिकरण को अभी तक दिवालियापन की सुनवाई करने का अधिकार नहीं दिया गया है।

संहिता की धारा 17 के तहत व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही, जैसा कि उक्त धारा को अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसके अलावा, हमने देखा है कि ऋण वसूली न्यायाधिकरणों को ऐसी कार्यवाहियों का परीक्षण करने के लिए सशक्त बनाने के लिए ऋण वसूली अधिनियम के परिणामी संशोधन से संबंधित धारा 249 को भी लागू नहीं किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 2 (ई), जो 23.11.2017 पर लागू की गई थी, जब यह किसी निगमित देनदार के व्यक्तिगत गारंटर को संहिता के आवेदन को संदर्भित करती है, तो केवल धारा में निहित सीमित उद्देश्य के लिए लागू होगी।

60 (2) और (3), जैसा कि यहाँ ऊपर बताया गया है। कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को मजबूत करने का यही अर्थ है संशोधन अधिनियम, 2018 के उद्देश्यों का विवरण।

22. अधिनियम की धारा 31 पर भी दृढ़ता से भरोसा किया गया था

उत्तरदाता। इस धारा में केवल यह कहा गया है कि एक बार ऋणदाताओं की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना प्रभावी हो जाने के बाद, यह निगमित देनदार के साथ-साथ गारंटर पर भी बाध्यकारी होगी। यह इस कारण से है कि अन्यथा, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 133 के तहत, कॉर्पोरेट देनदार द्वारा देय ऋण में किया गया कोई भी बदलाव, जमानतदार की सहमति के बिना, गारंटर को भुगतान से मुक्त कर देगा।

धारा 31 (1), वास्तव में, यह स्पष्ट करती है कि गारंटर भुगतान से बच नहीं सकता है क्योंकि समाधान योजना, जिसे अनुमोदित किया गया है, में ऐसे गारंटर द्वारा किए जाने वाले भुगतान के प्रावधान भी शामिल हो सकते हैं। शायद यही कारण है कि फॉर्म 6 के अनुलग्नक 6 (ई) में

ऊपर निर्दिष्ट नियम और विनियम 36 (2) में व्यक्तिगत गारंटी के बारे में जानकारी की आवश्यकता होती है जो ऋणों के संबंध में दी गई है।

निगमित देनदार। प्रत्यर्थियों के रुख का समर्थन करने की जगह, यह स्पष्ट है कि वास्तव में, धारा 31 एक व्यक्तिगत गारंटर के पक्ष में एक और कारक है जिसे उसे बचाने के लिए किसी भी अधिस्थगन के बिना देय ऋणों का भुगतान करना पड़ता है।

23. हमारी यह भी राय है कि धारा 96 और 101, जब धारा 14 के विपरीत होती है, तो यह पता चलता है कि धारा 14 संभवतः एक व्यक्तिगत गारंटर पर लागू नहीं हो सकती है। जब भाग के तहत आवेदन दायर किया जाता है III, किसी भी देय ऋण के संबंध में एक अंतरिम-अधिस्थगन या अधिस्थगन लागू होता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक अलग स्थगन है, जो व्यक्तिगत गारंटरों के मामले में अलग से लागू होता है, जिनके खिलाफ दिवाला है।

जिन व्यक्तियों पर उन्हें भुगतान करने का असीमित दायित्व है। और ऐसे गारंटर देनदार के लिए पूरी तरह से अजनबी हो सकते हैं-अक्सर यह एक व्यक्तिगत दोस्त हो सकता है। यही कारण है कि धारा 101 में उल्लिखित अधिस्थगन ऐसे व्यक्तियों को कवर करेगा, क्योंकि इस तरह की अधिस्थगन ऋण के संबंध में है। और कर्जदार को नहीं। हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि धारा 14 और 96 और 101 के बीच भाषा में अंतर को चिह्नित करना हमारे लिए खुला है, भले ही धारा 96 और 101 को अभी तक लागू नहीं किया गया है। यह इसी कारण से है, जैसा कि केरल और अन्य राज्यों में आयोजित किया गया है। वी. मार अप्प्रेम कुरी कंपनी लिमिटेड और अन्र। , (2012) 7 एस. सी. सी. 106, कि विधानमंडल द्वारा 'बनाया गया' कानून क़ानून की पुस्तक पर एक कानून है, भले ही इसे लागू नहीं किया गया हो। उक्त निर्णय में कहा गया है:

ए. टी. ई. बैंक ऑफ इंडिया बनाम वी. रामकृष्णन और ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 79. अनुच्छेद 254 (2) के परंतुक में प्रावधान है कि राष्ट्रपति की सहमति से राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संसद को किसी भी समय उसी मामले के संबंध में कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगा, जिसमें राज्य विधानमंडल द्वारा इस तरह बनाए गए कानून को जोड़ने, संशोधन करने, बदलने या निरस्त करने वाला कानून भी शामिल है। इस प्रकार, संसद को राष्ट्रपति की सहमति से राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के लागू होने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह स्वीकृत राज्य कानून को जल्द ही निरस्त, संशोधन, परिवर्तन या उसमें जोड़ सकता है। हम संसद को किसी भी राज्य को निरस्त करने, संशोधन करने या बदलने से रोकने का कोई औचित्य नहीं देखते हैं।

कानून, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, राज्य के क्षेत्र के भीतर एक पूर्ववर्ती संसदीय अधिनियम है।

समवर्ती क्षेत्र में, इसे लागू करने से पहले। संसद ऐसे राज्य कानून को निरस्त, संशोधित या परिवर्तित कर सकती है, जैसे ही इसे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी जाती है और इसे तब तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि राज्य कानून को लागू नहीं किया जाता है। इस दृष्टिकोण को तुलोच [ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1284 में इस न्यायालय के फैसले में समर्थन मिलता है: (1964) 4 एससीआर 461]।

80. अंत में, अनुच्छेद 13 (3) (बी) और अनुच्छेद 372 (3) स्पष्टीकरण I में "लागू कानूनों" और अनुच्छेद 366 (10) में "मौजूदा कानून" की परिभाषाओं से पता चलता है कि लागू कानूनों में संविधान के प्रारंभ से पहले विधायिका द्वारा पारित या बनाए गए कानून शामिल हैं और निरस्त नहीं किए गए हैं, इसके बावजूद कि ऐसा कोई कानून बिल्कुल भी लागू नहीं हो सकता है। इस प्रकार, की परिभाषा

अनुच्छेद 13 (3) (बी) और अनुच्छेद 372 (3) स्पष्टीकरण I में अभिव्यक्ति "लागू कानून" और अभिव्यक्ति की परिभाषा "मौजूदा कानून"

अनुच्छेद 366 (10) में केरल राज्य के इस तर्क को खारिज कर दिया गया है कि अनुच्छेद 254 के प्रयोजनों के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है। जब तक इसे लागू नहीं किया जाता है। "मौजूदा कानून" अभिव्यक्ति अनुच्छेद 254 में पाई जाती है। एडवर्ड मिल्स कं. लिमिटेड बनाम। अजमेर राज्य [आकाशवाणी]

1955 एस. सी. 25], इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि "मौजूदा कानून" और "लागू कानून" के बीच कोई अंतर नहीं है।

81. ऊपर उल्लिखित परीक्षणों को लागू करते हुए, हम मानते हैं कि केरल चिट्टी अधिनियम, 1975, [जब इसे राष्ट्रपति की सहमति मिली और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया] पर चिट फंड अधिनियम, 1982 बनाने पर अमान्य हो गया, क्योंकि केंद्रीय 1982 अधिनियम का उद्देश्य चिट्स के संचालन के संबंध में पूरे क्षेत्र को शामिल करना था और इसके अलावा राज्य वित्त [2018] 10 एस. सी. आर.

2002 का अधिनियम 7, राज्य 1975 अधिनियम में धारा 4 (1) (ए) को लागू करना, अमान्य था क्योंकि राज्य विधानमंडल को 2002 के उक्त वित्त अधिनियम 7 को अधिनियमित करने के अपने अधिकार से वंचित कर दिया गया था, सिवाय अनुच्छेद के

254 (2) , (केंद्रीय) चिट फंड अधिनियम, 1982 के बाद संविधान के अनुच्छेद 254 (1) में परिकल्पित पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया।

24. इस प्रकार, व्याख्या के उद्देश्य से, यह निश्चित रूप से धारा 96 और 101 के साथ धारा 14 के लिए खुला है, क्योंकि धारा 96 और ई विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून हैं, भले ही वे अभी तक लागू नहीं हुए हैं।25. जैसा कि श्री विश्वनाथन ने तर्क दिया है, अब इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बीमार औद्योगिक एनीज़ (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 22 इस प्रकार है:

" 22. (1) जहां किसी औद्योगिक कंपनी के संबंध में धारा 16 के तहत कोई जांच लंबित है या धारा 17 के तहत निर्दिष्ट कोई योजना तैयार या विचाराधीन है या कोई स्वीकृत योजना लागू की जा रही है या जहां धारा 25 के तहत कोई अपील की जा रही है। एक औद्योगिक कंपनी से संबंधित लंबित है, तो, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1), या किसी अन्य कानून या औद्योगिक कंपनी के ज्ञापन और संघ के लेख या किसी अन्य साधन में निहित कुछ भी होने के बावजूद, जो प्रभावी है।

उक्त अधिनियम या अन्य कानून के तहत, औद्योगिक कंपनी को बंद करने के लिए या औद्योगिक कंपनी की किसी भी संपत्ति के खिलाफ निष्पादन, संकट या इसी तरह की किसी भी कार्यवाही के लिए या उसके संबंध में रिसीवर की नियुक्ति के लिए [और धन की वसूली के लिए या औद्योगिक कंपनी के खिलाफ किसी प्रतिभूति को लागू करने के लिए या औद्योगिक कंपनी को दिए गए किसी भी ऋण या अग्रिम के संबंध में किसी भी गारंटी के लिए कोई मुकदमा नहीं] बोर्ड की सहमति के अलावा आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी।

या, जैसा भी मामला हो, अपीलीय प्राधिकरण।

(2) जहां कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या किसी अन्य कानून या ऐसी कंपनी के संगठन के ज्ञापन और लेखों में या उक्त अधिनियम या अन्य कानून के तहत प्रभावी किसी भी साधन में कुछ भी निहित होने के बावजूद बीमार औद्योगिक कंपनी का प्रबंधन [धारा 18 के तहत स्वीकृत किसी योजना के अनुसरण में] ले लिया जाता है या बदल दिया जाता है।

वी. रामकृष्णन और ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(क) यह ऐसी कंपनी के शेयरधारकों के लिए विधिसम्मत नहीं होगा।

या कंपनी के निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति को नामित या नियुक्त करने के लिए कोई अन्य व्यक्ति; (ख) ऐसी कंपनी के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में पारित कोई भी प्रस्ताव तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि

बोर्ड।

(3) [जहां धारा 16 के तहत कोई जांच लंबित है या धारा 17 में निर्दिष्ट कोई योजना तैयार की जा रही है या धारा 18 के तहत किसी योजना पर विचार करने की अवधि के दौरान है या जहां ऐसी किसी योजना को योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई है, बोर्ड आदेश द्वारा निम्नलिखित के संबंध में घोषणा कर सकता है: बीमार औद्योगिक कंपनी इस बात से संबंधित है कि सभी या किसी भी अनुबंध, संपत्ति के आश्वासन, समझौते, निपटान, पुरस्कार, स्थायी आदेश या लागू अन्य उपकरणों का संचालन, जिसके लिए ऐसी बीमार औद्योगिक कंपनी एक पक्ष है या जो

इस तरह के आदेश की तारीख से तुरंत पहले ऐसी बीमार औद्योगिक कंपनी पर लागू होगा, निलंबित रहेगा या सभी या कोई भी

उक्त तिथि से पहले उपार्जित या उसके तहत उत्पन्न होने वाले अधिकारों, विशेषाधिकारों, दायित्वों और देनदारियों का निलंबन निलंबित रहेगा या ऐसे अनुकूलन के साथ और ऐसी तरीके से लागू किया जाएगा जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जाए:

बशर्ते कि ऐसी घोषणा दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं की जाएगी जिसे एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, हालांकि, कुल अवधि कुल मिलाकर सात वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(4) किसी बीमार औद्योगिक कंपनी के संबंध में उप-धारा (3) के तहत की गई कोई भी घोषणा प्रभावी होगी।

कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1), या किसी अन्य कानून, कंपनी के ज्ञापन और संघ के लेख या उक्त अधिनियम के तहत प्रभावी किसी भी साधन में निहित कुछ भी।

या कोई अन्य कानून या कोई समझौता या किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण, अधिकारी या अन्य प्राधिकरण की कोई डिक्री या आदेश या किसी प्रस्तुति, निपटान या स्थायी आदेश और तदनुसार,

(क) किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार के प्रवर्तन के लिए कोई उपाय,

इस तरह के द्वारा निलंबित या संशोधित दायित्व और दायित्व घोषणा, और उससे संबंधित सभी कार्यवाहियाँ [2018] एस. सी. आर. 10 से पहले लंबित हैं।

किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण, अधिकारी या अन्य प्राधिकरण पर रोक बनी रहेगी या ऐसी घोषणा के अधीन बनी रहेगी; और
(ख) घोषणा का प्रभाव समाप्त होने पर

((i) इस प्रकार निलंबित या संशोधित रहने वाला कोई भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व पुनर्जीवित हो जाएगा और

प्रवर्तनीय जैसे कि घोषणा कभी नहीं की गई थी; और

((ii) इस प्रकार रोकी गई कोई भी कार्यवाही आगे बढ़ाई जाएगी।

किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन, जो तब लागू हो सकता है, उस चरण से जो कब तक पहुँच गया था

कार्यवाही रोक दी गई।

(5) किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व के प्रवर्तन के लिए सीमा की अवधि की गणना करने में, वह अवधि जिसके दौरान यह या उसके प्रवर्तन के लिए उपाय निलंबित रहता है।

इस धारा के तहत बाहर रखा जाएगा।

इसकी उप-धारा (1) को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि दिए गए ऋणों या अग्रिमों के संबंध में किसी भी गारंटी के प्रवर्तन के लिए उपयुक्त है।

बोर्ड या अपीलीय प्राधिकरण की सहमति के अलावा, औद्योगिक कंपनी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा या आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह ध्यान दिया जा सकता है कि बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 को 01.12.2016 पर निरस्त कर दिया गया था। 30.11.2016 दिनांकित अधिसूचना द्वारा, अनुभाग

14 संहिता को डब्ल्यू. ई. एफ. 01.12.2016 से लागू किया गया था। मद्रास पेट्रोकेम लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण और अन्य के लिए बोर्ड , (2016) 4 एस. सी. सी. 1, इस न्यायालय ने पाया किः

" 40. संसद ने जिस दिशा में कदम उठाया है, उसका एक दिलचस्प संकेत

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के अधिनियमन के बाद

वित्तीय परिसंपत्तियाँ और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 भी इस संदर्भ में कुछ प्रासंगिकता रखता है। दिवाला और कंपनियों को बंद करने से संबंधित इराडी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि 3068 मामलों में से बी. आई. एफ. आर. को संदर्भित किया गया है।

निपटाए गए मामलों में से 264 मामलों को फिर से शुरू किया गया, 375 मामलों को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया के लिए बातचीत चल रही थी, 741 मामलों को बंद करने की सिफारिश की गई थी और 626 मामलों को विचार योग्य नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया था। ये तथ्य और आंकड़े खुद बोलते हैं और बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की उपयोगिता पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाते हैं। समिति ने आगे कहा उन्होंने बताया कि बीमार औद्योगिक कंपनियों की प्रभावशीलता ए. टी. ई. बैंक ऑफ इंडिया v.

वी. रामकृष्णन और ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

सिफारिश की कि बीमार औद्योगिक कंपनियाँ (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 को निरस्त किया जाना चाहिए और पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए इसके तहत प्रावधानों की दूरबीन की जानी चाहिए।

कंपनी अधिनियम, 1956 की संरचना।

41. एराडी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी कानून बोर्ड, उच्च न्यायालय, बी. आई. एफ. आर. और ए. ए. आई. एफ. आर. के विकल्प के रूप में एक राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान करके 2002 में कंपनी अधिनियम में संशोधन किया गया था। कंपनी अधिनियम, 1956 में धारा 424-ए से 424-एच को शामिल करके इराडी समिति की रिपोर्ट को और प्रभावी बना दिया गया। कुछ परिवर्तनों के साथ, बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 15 से 21 के प्रावधानों को प्रतिबिंबित किया गया। दिलचस्प बात यह है कि कंपनी संशोधन अधिनियम, 2002 में एक

विधि न्यायाधिकरण। XXX XXX XXX

43. कंपनी अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) निरसन अधिनियम, 2003 आया। यह विशेष अधिनियम बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 को निरस्त करने के लिए था, जिसके परिणामस्वरूप इसके कुछ प्रावधानों को कंपनी अधिनियम में शामिल किया गया था। इस प्रकार, कंपनी संशोधन अधिनियम, 2002 और एस. आई. सी. ए. निरसन अधिनियम एक विधायी योजना का हिस्सा बने और दोनों में से किसी को भी अभी तक लागू नहीं किया गया है। वास्तव में, यहां तक कि कंपनी अधिनियम, 2013, जो कंपनी अधिनियम, 1956 को निरस्त करता है, में अध्याय 19 शामिल है जिसमें संशोधित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 424-ए से 424-एच की तर्ज पर बीमार कंपनियों के पुनरुद्धार और पुनर्वास से संबंधित धारा 253 से 269 शामिल हैं। इसकी अनुपस्थिति रोगग्रस्त औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, [2018] 10 एस. सी. आर. की धारा 22 (1) के समान एक प्रावधान है।

लागू किया गया, इस तथ्य के लिए भी एक महत्वपूर्ण संकेतक है कि बीमार औद्योगिक कंपनियों (विशेष) की धारा 22 (1) प्रावधान) अधिनियम, 1985 को सांविधिक रूप से बाहर करने की मांग की गई है, संसद ने बीमार औद्योगिक कंपनियों की रक्षा करने और उनके पुनर्वास की इच्छा से बैंक और वित्तीय संस्थानों को देय सार्वजनिक धन की वसूली में निहित सार्वजनिक हित को विश्वास देने की ओर रुख किया है। इन प्रावधानों से यह भी पता चलता है कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों का उपरोक्त निर्माण, बीमार औद्योगिक कंपनियों के पुनर्जीवित या पुनर्वासित होने पर लेनदारों को अदालत की प्रक्रिया के बाहर अपने ऋणों का भुगतान करने में सक्षम होने के पक्ष में है। वास्तव में, एक अन्य दिलचस्प दस्तावेज भारत में बैंकिंग के रुझान और प्रगति पर रिपोर्ट है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया गया है।

उक्त अधिनियम कुल बरामद राशि का 70 प्रतिशत था। बैंकों और वित्तीय संस्थानों के देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के तहत वसूली की गई राशि केवल 28 प्रतिशत थी। यह सब दर्शाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों को जो राशि वसूलनी है, वह चौंका देने वाले आंकड़ों में है और अंत में कम से कम एक वैधानिक उपाय कुछ हद तक प्रभावी साबित हुआ है। यह न्यायालय ऐसी व्याख्या देने के लिए अनिच्छुक होगा जो वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के तहत वसूली प्रक्रिया को विफल कर दे और

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन ने कम से कम कुछ हद तक काम किया है।

44. इस प्रकार यह देखा जाएगा कि अबाधित होने के बावजूद

धारा 32 के साथ पठित धारा 22 (1) और (4) के खंड 22 बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम,

1985 के तहत किए गए उपायों को रास्ता देना होगा

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 का प्रवर्तन, विशेष रूप से

उक्त अधिनियम की धारा 13 में निर्दिष्ट किया गया है और यह कि मामले में, 2003 और 2013 दोनों में जारी बिक्री नोटिस जारी रह सकते हैं

रोगी की धारा 22 द्वारा किसी भी तरह से विफल किए बिना

औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985।"

(जोर दिया गया)

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस कारण से भी, यह स्पष्ट है कि संसद ने जब धारा 14 को लागू किया था, तो इस इतिहास को ध्यान में रखा था और विशेष रूप से बीमार की धारा 22 की तर्ज पर किसी भी स्थगन का प्रावधान नहीं किया था।

औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 संहिता की धारा 14 में।

26. के निर्णय में बॉम्बे उच्च न्यायालय का तर्क

एम/एस। सिकॉम इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंस लिमिटेड (ऊपर) हमारी सराहना करता है। दूसरी ओर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का तर्क नहीं है।

27. अब हम इस तर्क पर आते हैं कि 2018 का संशोधन,

जो यह स्पष्ट करता है कि धारा 14 (3) को अब यह पढ़ने के लिए प्रतिस्थापित किया गया है कि धारा 14 की उप-धारा (1) के प्रावधान निगमित देनदार के लिए गारंटी के अनुबंध में किसी मुचलके पर लागू नहीं होंगे। संशोधित धारा इस प्रकार है:

" 14. अधिस्थगन।

XXX XXX XXX

(3) उप-धारा (1) के प्रावधान इन पर लागू नहीं होंगे -

(क) ऐसे लेन-देन जिन्हें केंद्र द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

सरकार किसी भी वित्तीय क्षेत्र के नियामक के परामर्श से;

(बी) एक कॉर्पोरेट देनदार को गारंटी के अनुबंध में एक जमानत।

28. दिवाला विधि समिति, मंत्रालय द्वारा नियुक्त

कॉर्पोरेट मामलों ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 26.03.2018 द्वारा कुछ प्रमुख सिफारिशें कीं, जिनमें से एक थी:

" ((iv) निगमित देनदार की परिसंपत्तियों के साथ-साथ निगमित देनदार की परिसंपत्तियों पर रोक के संबंध में भ्रम को दूर करने के लिए, एक स्पष्टीकरण के माध्यम से स्पष्ट करने की सिफारिश की गई है कि ऐसी परिसंपत्तियों की सभी परिसंपत्तियां निगमित देनदार के लिए गारंटर के दायरे से बाहर होंगे

संहिता के तहत लगाई गई रोक; "

जहाँ तक धारा 14 के तहत स्थगन का संबंध है, समिति को यह पता लगाना चाहिए:

" 5.5 धारा 14 निगमित देनदार और उसकी परिसंपत्तियों के खिलाफ स्थगन या संस्था पर रोक या कार्यवाही, मुकदमे आदि को जारी रखने का प्रावधान करती है। कॉर्पोरेट देनदार के ऋण से प्रभावित तीसरे पक्ष जैसे गारंटर या प्रतिभू के लिए इसके आवेदन के संबंध में अधिस्थगन के दायरे पर विरोधाभासी विचार रहे हैं। जबकि कुछ अदालतों ने यह विचार रखा है कि धारा 14 की शाब्दिक व्याख्या इस अर्थ में की जा सकती है कि यह केवल कार्यों को प्रतिबंधित करती है

निगमित देनदार की परिसंपत्तियों के खिलाफ, कुछ अन्य लोगों ने यह व्याख्या की है कि यदि निगमित देनदार के खिलाफ सी. आई. आर. पी. चल रहा है तो यह रोक गारंटी के प्रवर्तन पर भी लागू होती है। XXX XXX XXX

" 5.7 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बाद में एक अलग फैसला लिया।

संजीव श्रिया बनाम में देखें। भारतीय स्टेट बैंक, 2017 (9) एडीजे 723, ऋण के लिए व्यक्तिगत गारंटर के खिलाफ गारंटी के प्रवर्तन के लिए अधिस्थगन लागू करके। इसका कारण यह है कि यदि कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ एक सी. आर. आई. पी. चल रहा है, तो ऋण

समाधान योजना स्वीकृत होने तक निगमित देनदार अंतिम नहीं होता है, और इस प्रकार जमानतदार का दायित्व भी स्पष्ट नहीं होगा। न्यायालय ने यह विचार रखा कि जब तक निगमित देनदार का ऋण स्पष्ट नहीं हो जाता है, तब तक गारंटर की देनदारी शुरू नहीं हो सकती है। समिति ने विचार-विमर्श किया और नोट किया कि इसका मतलब यह होगा कि यदि निगमित देनदार के खिलाफ सी. आई. आर. पी. चल रहा है, तो प्रतिभूति की देनदारियों को रोक दिया जाता है, और इस तरह की व्याख्या से गारंटी के अनुबंध निष्फल हो सकते हैं, और गारंटी की सेवा नहीं कर सकते हैं।

जिस उद्देश्य के लिए उन्हें शामिल किया गया है।

5.8 भारतीय स्टेट बैंक बनाम. वी. रामकृष्णन और वीसन

एनर्जी सिस्टम्स, एन. सी. एल. ए. टी., नई दिल्ली, कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) सं. 213/2017 [निर्णय की तिथि-28 फरवरी, 2018], ए. टी. ई. बैंक ऑफ इंडिया बनाम।

वी. रामकृष्णन और ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

एन. सी. एल. ए. टी. ने धारा 14 की व्यापक व्याख्या की और अभिनिर्धारित किया कि यह प्रतिभू के खिलाफ कार्यवाही या कार्रवाई पर रोक लगाएगा। ऐसा करते समय, इसने उपरोक्त किसी भी निर्णय का उल्लेख नहीं किया, बल्कि यह माना कि गारंटरों के खिलाफ कार्यवाही सी. आई. आर. पी. को प्रभावित करेगी।

और इस प्रकार अधिस्थगन द्वारा वर्जित किया जा सकता है। समिति ने महसूस किया कि स्थगन की इस तरह की व्यापक व्याख्या में कटौती हो सकती है

5.9 गारंटी का अनुबंध लेनदार, प्रमुख देनदार और मुचलकेदार के बीच होता है, जहां ऋणदाता के पास प्रमुख देनदार और मुचलकेदार दोनों के खिलाफ अपने ऋण के संबंध में एक उपाय होता है [राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड v. संधू एंड कंपनी, ए. आई. आर. 1990 पी एंड एच 300]। यहाँ जमानत हो सकती है

एक निगमित या एक स्वाभाविक व्यक्ति हो और ऐसे व्यक्ति का दायित्व प्रमुख देनदार के दायित्व तक जाता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 128 के अनुसार, मुचलकेदार का दायित्व सह है प्रमुख देनदार और लेनदार के साथ व्यापक रूप से किसी विशेष मामले में या तो प्रमुख देनदार, या जमानत, या दोनों के खिलाफ जा सकता है।

चेट्टियार

[चोकलिंगा

अनुक्रम

वी.

दंडायुनथापानी चट्टियार, ए. आई. आर. 1928 मैड 1262]। यद्यपि यह गारंटी के अनुबंध की शर्तों द्वारा सीमित हो सकता है, ऐसे अनुबंधों का सामान्य सिद्धांत यह है कि

प्रमुख देनदार और मुचलका सह-व्यापक है और संयुक्त और कई हैं [बैंक ऑफ बिहार बनाम. दामोदर प्रसाद, आकाशवाणी 1969 एससी 297]। समिति ने नोट किया कि ऐसे अनुबंधों की यह विशेषता, यानी जमानतदार और निगमित देनदार दोनों के खिलाफ उपचार, दूसरे के खिलाफ कार्यवाही करने से पहले एक पक्ष के खिलाफ उपचार को समाप्त करने की बाध्यता के बिना, लेनदार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह एक गारंटी अनुबंध की पहचान है, और इस तरह के उपचार की उपलब्धता अधिकांश में है।

जिन मामलों के आधार पर ऋण बढ़ाया जा सकता है।

5.10 समिति ने आगे कहा कि धारा 14 की शाब्दिक व्याख्या विवेकपूर्ण है और इसकी व्यापक व्याख्या नहीं की जा सकती है। उपरोक्त संदर्भ में आवश्यक है। प्रतिभूति की परिसंपत्तियाँ निगमित देनदार

की परिसंपत्तियों से अलग होती हैं, और निगमित देनदार के खिलाफ कार्यवाही प्रतिभूति जैसे तीसरे पक्ष की परिसंपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई से गंभीर रूप से प्रभावित नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त, गारंटी के प्रवर्तन का [2018] 10 एस. सी. आर. पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ सकता है।

प्रमुख देनदार के विरुद्ध लेनदार के अधिकार के रूप में निगमित देनदार का ऋण केवल मुचलके में स्थानांतरित किया जाता है, मुचलके द्वारा भुगतान की सीमा तक। इस प्रकार, संविदात्मक सिद्धांत

गारंटी के लिए अधिस्थगन के दौरान भी सम्मान की आवश्यकता होती है और एक वैकल्पिक व्याख्या का इरादा नहीं हो सकता है संहिता, जैसा कि धारा 14 के एक सादे पठन से स्पष्ट है।

5.11 इसके अलावा, चूंकि निगमों के ऋणों के लिए कई गारंटी इसके प्रवर्तकों द्वारा व्यक्तिगत गारंटी के रूप में दी जाती हैं, यदि सी. आई. आर. पी. के दौरान उनकी संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक है, तो ऐसे प्रवर्तक (जो निगम आवेदक भी हैं) केवल ठहराव का लाभ उठाने और अपनी संपत्तियों की रक्षा करने के लिए तुच्छ आवेदन दायर कर सकते हैं। इस संबंध में विश्लेषण किए गए निर्णयों में, कई कॉर्पोरेट आवेदक द्वारा संहिता की धारा 10 के तहत दायर किए गए हैं और यह उपरोक्त आशंका की पुष्टि कर सकता है। अधिस्थगन प्रावधान का दुरुपयोग। समिति ने निष्कर्ष निकाला कि धारा 14 का इरादा कॉर्पोरेट देनदार के ऋणों के लिए गारंटरों की संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई को रोकने का नहीं है और सिफारिश की कि इसे स्पष्ट करने के लिए संहिता की धारा 14 में एक स्पष्टीकरण डाला जा सकता है। अधिस्थगन का दायरा केवल कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों तक ही सीमित हो सकता है।

29. उक्त समिति की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि

संशोधन का उद्देश्य यह स्पष्ट करना और इस बात पर विराम लगाना था कि समिति क्या धारा 14 की व्यापक व्याख्या थी। कि इस तरहकैटरी संशोधन प्रकृति में पूर्वव्यापी है, इससे स्पष्ट होगा

देय निर्णयः

टीवी. शैली उत्पाद, (2003) 5 एस. सी. सी. 461:

कानूनी स्थिति को नहीं बदलता है जैसा कि संशोधन से पहले मौजूद था। यह प्रस्तुत किया गया था कि यह न्यायालय सी. आई. टी. बनाम. चित्तौड़ विद्युत आपूर्ति निगम [(1995) 2 एससीसी 430: (1995) 212 आईटीआर 404] उसने अभिनिर्धारित किया है कि धारा 240 का परंतुक (क) घोषणात्मक है और, ए. टी. ई. बैंक ऑफ इंडिया v.

वी. रामकृष्णन और ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

इसलिए, परंतुक (बी) को भी घोषणात्मक माना जाना चाहिए। हमारे विचार में यह कानून में सही स्थिति नहीं है। जहाँ परंतुक में दो भाग होते हैं, वहाँ एक भाग घोषणात्मक हो सकता है लेकिन दूसरा भाग ऐसा नहीं भी हो सकता है। इसलिए, केवल इसलिए कि परंतुक का एक भाग घोषणात्मक माना गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि परंतुक का दूसरा भाग भी घोषणात्मक है। हालाँकि, हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, वह राजस्व के इस रुख का समर्थन करता है कि धारा 240 का परंतुक (बी) भी घोषणात्मक है। हमने यह अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम की असंशोधित धारा 240 के तहत भी, निर्धारिती केवल निर्धारिती द्वारा वापस की गई कुल आय पर प्रभार्य कर से अधिक भुगतान किए गए कर की वापसी का हकदार था। हमने संशोधित प्रावधान की सहायता लिए बिना ऐसा किया है। यह,

इसलिए, धारा 240 का परंतुक (बी) भी घोषणात्मक है। यह कानून को स्पष्ट करने का प्रयास करता है ताकि अदालतों द्वारा परस्पर विरोधी निर्णय देने और कई मामलों में राजस्व को आय की पूरी राशि वापस करने का निर्देश देने वाली शंकाओं को दूर किया जा सके।

निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया कर जहां राजस्व एक नया निर्धारण तैयार करने की स्थिति में नहीं था। प्रकृति में स्पष्टीकरणात्मक होने के कारण इसे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पूर्वव्यापी माना जाना चाहिए। यह अच्छी तरह से तय है कि विधायिका एक घोषणात्मक पारित कर सकती है

कानून की व्याख्या में विधायिका जिसे न्यायिक त्रुटि मानती है, उसे दरकिनार करने के लिए अधिनियम। यह केवल मूल अधिनियम के प्रावधान के अर्थ को स्पष्ट करना चाहता है और जो पहले से ही निहित था उसे स्पष्ट करना चाहता है।

" "

टी वी. वाटिका टाउनशिप (2015) 1 एस. सी. सी. 1:

" 32. आइए हम चर्चा को थोड़ा और तेज करें। हम ध्यान दे सकते हैं कि कुछ परिस्थितियों में, एक विशेष संशोधन को स्पष्टीकरणात्मक या घोषणात्मक प्रकृति का माना जा सकता है। इस तरह के वैधानिक प्रावधानों को "घोषणात्मक क़ानून" के रूप में लेबल किया जाता है। द.

" न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह द्वारा घोषणात्मक कानूनों की व्याख्या की गई है। [वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत, (13वां संस्करण, लेक्सिस नेक्सिस बटरवर्थ्स वाधवा, नागपुर, 2012)] निम्नलिखित तरीके से:

“ घोषणात्मक कानून

पूर्वव्यापी संचालन के खिलाफ धारणा घोषणात्मक कानूनों पर लागू नहीं होती है। जैसा कि क्रेइज़ में कहा गया है [डब्ल्यू. एफ. क्रेइज़, क़ानून कानून पर क्रेइज़ (7 वीं संस्करण। , स्वीट एंड मैक्सवेल लिमिटेड, 1971)] और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित [सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम.

कामगार, ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 12, पैरा 29]: ' आधुनिक उद्देश्यों के लिए ए सामान्य कानून, या किसी के अर्थ या प्रभाव के रूप में मौजूद है कानून। इस तरह के अधिनियमों को आमतौर पर पूर्वव्यापी माना जाता है। आम तौर पर एक घोषणात्मक अधिनियम पारित करने का कारण क्या अलग रखना है संसद एक न्यायिक त्रुटि मानती है, चाहे सामान्य कानून का विवरण या कानूनों की व्याख्या में।

आमतौर पर, यदि निश्चित रूप से नहीं, तो ऐसे अधिनियम में एक प्रस्तावना होती है, और "घोषित" शब्द के साथ-साथ "अधिनियमित" शब्द भी। लेकिन 'यह घोषित किया गया है' शब्दों का उपयोग निर्णायक नहीं है कि अधिनियम इन शब्दों के लिए घोषणात्मक है, कभी-कभी, पेश करने के लिए उपयोग किया जा सकता है बाद के मामले में कानून के नए नियम और अधिनियम केवल कानून में संशोधन करना और आवश्यक रूप से पूर्वव्यापी नहीं होगा। में। अतः अधिनियम की प्रकृति का निर्धारण करने के लिए, रूप के बजाय पदार्थ के लिए था। यदि कोई नया अधिनियम 'से' है एक पूर्ववर्ती अधिनियम की व्याख्या करें, यह तब तक उद्देश्यहीन होगा जब तक कि इसका अर्थ न लगाया जाए पूर्वव्यापी। एक व्याख्यात्मक अधिनियम आम तौर पर आपूर्ति करने के लिए पारित किया जाता है। एक स्पष्ट चूक या के अर्थ के रूप में संदेह को दूर करने के लिए पिछला अधिनियम। यह अच्छी तरह से तय है कि यदि कोई क़ानून उपचारात्मक है या केवल पिछले कानून के पूर्वव्यापी संचालन की घोषणात्मक आम तौर पर इरादा है। 'भाषा' को हमेशा माना जाएगा इसका अर्थ है 'घोषणात्मक है, और सादे शब्दों में पूर्वव्यापी है। में। स्पष्ट शब्दों का अभाव यह दर्शाता है कि संशोधन अधिनियम है

घोषणात्मक, यह इतना अर्थ नहीं लगाया जाएगा जब पूर्व-संशोधित

प्रावधान स्पष्ट और स्पष्ट था। एक संशोधन अधिनियम हो सकता है के प्रावधान के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विशुद्ध रूप से स्पष्टीकरण

मूल अधिनियम जो पहले से ही निहित था। एक स्पष्टीकरण

इस प्रकृति के संशोधन का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा और,

इसलिए, यदि प्रमुख अधिनियम मौजूदा कानून था जो

संविधान लागू हुआ, संशोधन अधिनियम भी इसका हिस्सा होगा मौजूदा कानून "।

उपरोक्त सारांश तथ्यात्मक रूप से इसके निर्णयों पर आधारित है।

अदालत के साथ-साथ अंग्रेजी निर्णय भी।

30. इन सभी कारणों से, हमारा मानना है कि

न्यायाधिकरण के अधिकार को अलग रखा जाना चाहिए। अपीलें तदनुसार हैं डी।

अपीलों की

अनुमति दी गई।

गुजराल